न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 42/III/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 23.10.13 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 28 अ–6/ 13–14 अपील

स्वामी प्रसाद पुत्र स्व. लाल्ले चौबे
ग्राम कदारी तहसील व जिला
छतरपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.एस.जादौन)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री ए.के.श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 5 –10–2015 को पारित)

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28 अ–6/ 13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.102013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम कदारी ने तहसीलदार छतरपुर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कदारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1120, 1121 रकबा 3.43 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर गैरहकदार कृषक के रूप में घनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद दर्ज है जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 (घ) (2) एंव (3) के अनुसार आधार वर्ष सन् 1854–55 में प्रश्नाधीन भूमियां खसरा नं. 2 में शासकीय अंकित हैं इसलिये इसे अतिक्रामक के रूप में दर्ज

किया जावे। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 250 अ-6-अ/75-76 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 13.8.1976 से घनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद को उक्तांकित भूमि पर अतिक्रामक दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध दिनांक 15-01-2013 को स्वामी प्रसाद पुत्र स्व. लाल्ले चौबे ने अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 49 अ-6-अ/12-13 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों को वास्तविकता के विपरीत पाने तथा आवेदक की उत्तराधिकारिता स्पष्ट न होने के आधार पर अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 28 अ-6/ 13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.102013 से अपील अमान्य की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि सन् 1854-55 में खसरा नं. 2 में (बंजर) शासकीय अंकित हैं । पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसीलदार ने वास्तविकता की जांच हेतु प्रकरण क्रमांक 250 अ-6-अ/75-76 पंजीबद्ध किया एंव जांच तथा सुनवाई हेतु गैर हकदार के रूप में अभिलिखित घनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राहमण निवासी ग्राम कदारी को पेशी 22-7-76 नियत कर बचाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया। यह सूचना पत्र घनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राहमण निवासी ग्राम कदारी पर निर्वाहित है । तहसील न्यायालय के प्रकरण

में पृष्ठ- 13 पर सूचना पत्र संलग्न है जिसके पीठ पृष्ठ परघनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राहमण के पावती के हस्ताक्षर हैं तथा इसी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13-8-76 पर एक प्रति पावती के हस्ताक्षर घनश्याम पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राहमण निवासी ग्राम कदारी के है किन्तु इस पक्षकार ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 13-8-76 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि आवेदक इस सम्बन्ध में कुछ भी बताने में असमर्थ्य रहा है जिसके कारण तहसीलदार के आदेश दिनांक 13-8-76 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष दिनांक 15-01-2013 को अर्थात लगभग 37 वर्ष वाद प्रस्तुत अपील अवधि-वाह्य मानने में अनुविभागीय अधिकारी ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28 अ-6/ 13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.2013 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6-9-13 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28 अ-6/ 13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.102013 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर